न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 61/2022
पंजीयन दिनांक 18.05.2022

(1). दलीचन्द पिता हजारी जाति गाडरी निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रतनलाल पिता दलीचन्द जाति गाडरी निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). भोली बाई पत्नी कालु जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 48/2019 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.11.2021

उपस्थित वक्त बहस–(1). दीपक शर्मा–अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय **दिनांक 20.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की खरीदशुदा, खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात मौजा दौलतपुरा तहसील भदेसर की आराजी संख्या 40/209 रकबा .54 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की खातेदारी व कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने जो कि एक ही परिवार के सदस्य है, ने वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात के उत्तर-पश्चिम कोने पर 40 बाई 60 मीटर कुलिया 2400 वर्गमीटर भूमि पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने मिलकर अवैधानिक तरीके से जबरन कब्जा कर लिया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा जबरन कब्जा करने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्थरगढ़ी का प्रार्थना-पत्र संख्या 30/2018 प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 01.05.2018 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया। जिसके आधार पर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील होकर प्राप्त हुए उसके बावजूद अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए। उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 शिविर करेडिया मे प्रस्तुत हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया उपस्थित हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर उक्त पत्रावली कब्जेयाबी कृषि आराजीयात की होने से व पत्रावली मे प्रस्तुत नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, पत्थरगढ़ी पर्चा मौका का अवलोकन किया जाकर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की खातेदारी मे दर्ज होने व उक्त कृषि आराजीयात के उत्तर-पश्चिमी कोने पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण का 40 गुणा 60 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा होना प्रमाणित होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया को कब्जा दिलाये जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

था। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की ओर से अधिवक्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि प्रतिवादीया संख्या 3 का स्वर्गवास निर्णय के पूर्व हो चुका था जिसकी नामकायमी कराये बगैर निर्णय व डिक्री पारित की है। प्रकरण मे तनकीयात, साक्ष्य नहीं हुई है। दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुए है। पत्थरगढ़ी के पर्चा मौका का कोई नोटिस अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नहीं दिया गया है। अपीलांटगण के पर्चे मौके पर हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत एकपक्षीय निर्णय व डिक्री बिना राजीनामे के पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 वादिया ने पत्थरगढ़ी का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975, आर.आर.टी. 2017 पार्ट-2 पेज 1047 का अवलोकन करवाया गया व अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे मौजा दौलतपुरा तहसील भदेसर की आराजी संख्या 40/209 रकबा 0.54 हैक्टेयर जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजीयात के उत्तर-पश्चिमी कोने पर अपीलांटगण व प्रतिवादी संख्या 3 जो अपीलांट संख्या 1 की पत्नी है जिसका स्वर्गवास हो चुका है , ने मिलकर 40 गुणा 60 मीटर पर अवैध अतिक्रमण कर लिया था। उक्त कब्जे को प्राप्त करने का कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र के साथ नक्शा ट्रेस, जमाबंदी व पत्थरगढ़ी पर्चे मौके की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। उक्त वादपत्र अपीलांटगण प्रतिवादीगण की तामील होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत कैम्प कोर्ट करेडिया मे नियत हुआ जिसमे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित हुई। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । उक्त आराजीयात अपीलांट वादिया के खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड होने व पत्थरगढ़ी पर्चे मौके के अनुसार उक्त आराजीयात पर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी मानते हुए कब्जेयाबी का वादपत्र डिक्री किया है, जो विधि अनुसार पारित किया गया है। जिससे अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया के पक्ष मे कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध मे पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात पर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा उत्तर-पश्चिमी कोने पर अवैध कब्जा कर लेने से विधिवत पत्थरगढ़ी करवाकर कब्जा प्राप्त करने हेतु कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण के सम्मन नोटिस जारी किये जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील होकर प्राप्त हुए व पत्रावली के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक-अदालत नियत किये जाने के आदेश पारित हुए व अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना के अनुसार मजमे आम मे उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे नियत हुई। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाने हेतु उपस्थित हुई। प्रतिवादीगण अपीलांटगण जिनको भी लोक अदालत व प्रकरण की जानकारी थी फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गठित लोक अदालत मे उपस्थित नही हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, पत्थरगढ़ी पर्चा मौका का अवलोकन कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का वादपत्र प्रमाणित होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया विवादित कृषि आराजीयात का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी होना मानते हुए वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादिया संख्या 3 जो अपीलांट संख्या 2 की माता व अपीलांट संख्या 1 की पत्नी है जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वर्गवास हो जाना पाया जाता है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान पूर्व से ही रेकॉर्ड पर होने से नामकायमी कराया जाना आवश्यक नहीं था। उसके वारिसान पूर्व से ही रेकॉर्ड पर होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को मृतक के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री होना नहीं माना जा सकता है, जिससे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के संबंध मे जो तर्क प्रस्तुत किये है व उक्त तर्को के संबंध मे जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है , जो हस्तगत प्रकरण की प्रकृति से भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 48/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2021 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 ज़ाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर. ए. एस.)

अपील सं. 61/2022 /डिक्री

(1) श्री दलीचंद पिता हजारी जाति गाडरी निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2) रतनलाल पिता दलीचन्द जाति गाडरी निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री भोलीबाई पत्नी कालु जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2) सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर दि. 15-11-2021 प्रकरण सं. 48/2019 अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 20-10-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री दोगालाल जाट की उपस्थिति में शरफुमल (?) राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 2 राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 48/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 15-11-2021 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....—........ रुपये हैं, ...—........ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....—........ द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 20-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(हस्ताक्षर)

श्री हरिसिंह मीना (आर. ए. एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 20-10-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	